न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, जनपद औरैया।

CNR No. UPAU120013502022
परिवाद संख्या–62/2022
संगीता देवी बनाम प्रदीप आदि।
थाना बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–11.10.2022

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी पर सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 13.05.2022 को मैं अपने दरवाजे पर खडी थी। प्रदीप व सुनील आये। खींचकर घर ले गये। चिल्लाने पर मम्मी आयी। मेरे व मम्मी के साथ मारपीट की। सोने की चैन एक तोला छीन ली। एक लडके ने हमें बचाया। उन्होंने पुलिस बुलायी। दिनांक 13.05.2022 को चौकी गयी। दिनांक 14.05.2022 को पुनः प्रदीप व सुनील ने मैं लेटी थी, बुरी नीयत से दबोच लिया। चिल्लाने पर कोई नहीं आया। मेरे साथ मारपीट की। जो मुकदमा लिखाया है, उसे वापस ले लो। दिनांक 15.05.2022 को चौकी पर बुलाया। भानू प्रताप (प्रधान) ने हमको गाली–गलौज की। गला दबाया। कपिलदेव ने मुझे थप्पड मारा। मैं बेहोश हो गयी।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवादिनी ने स्वयं को तथा धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 गुड्डी देवी व लिखित बहस को परीक्षित कराया गया है। जिन्होंने परिवादिनी के कथनों का समर्थन किया है।

प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आवेदिका द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, औरैया को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, मूल रजिस्ट्री रशीदें, डॉक्टरी परीक्षण एन.सी.आर. नम्बर 129/2022 अन्तर्गत धारा 323,504 भा0दं0सं0 की छायाप्रति व आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली में दाखिल की गयी हैं।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षीगण प्रदीप व सुनील के विरूद्ध धारा–354,323 भा0दं0सं0 एवं विपक्षी भानू प्रताप के विरूद्ध धारा–504 भा0दं0सं0 का अपराध बनना पाया जाता है। तद्नुसार उक्त विपक्षीगण को उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी कपिलदेव व राजीव कुमार यादव को तलब करने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

अभियुक्तगण प्रदीप व सुनील के विरूद्ध धारा–354,323 भा0दं0सं0 एवं अभियुक्त भानू प्रताप के विरूद्ध धारा–504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। अभियुक्तगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 15.11.2022 को पेश हो।

अपर सिविल जज (जू0डि0),
बिधूना, औरैया।
J.O. Code No. U.P.-3738